न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्र० क० 45/18

दायरा दिनांक 26.7.18

निर्णय दिनांक 13/12/19

बउनवान

1- हंसराज उम्र 25 वर्ष पुत्र नरसीलाल

2. महावीर उम्र 22 वर्ष पुत्र नरसीलाल

3. रामप्यारी बाई उम्र 20 वर्ष पुत्री नरसीलाल

4. ममता बाई उम्र 18 वर्ष पुत्री नरसीलाल

5 नटी बाई उम्र 58 वर्ष पत्नि स्व० नरसीलाल जातिगण बैरवा निवासीगण कागला बमोरी हाल निवासी हरिजी का निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)

-- वादीगण -

- बनाम -

1- हारम्या बाई पत्नी हरिवल्लभ जाति बैरवा निवासी कागला बमोरी तहसील किशनगंज जिला बारां

2- कल्याणी बाई पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी कागला बमोरी तहसील किशनगंज जिला बारां

3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

-प्रतिवादीगण -

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC व ओदेश 7 नियम 11 CPC.

निर्णय दिनांक 13.12.19

प्रार्थी / प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 10 C.P.C. व आदेश 7 नियम 11 C.P.C. पेश किया, प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया

यह कि विवादित आराजी हिस्सा 1/2 को वादीगण के पिता नरसिंहलाल ने इकरारनामा बेचान दिनांक 5/9/98 को बेचान कर प्रतिवादी क्रम 1 के पति हरिवल्लभ को कब्जा सुपुर्द कर दिया था, जिसकी अपील न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां में विचाराधीन है।

यह कि वादीगण ने विचाराधीन अपील न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के तथ्यो को न्यायालय से छुपाया है, तथा वादीगण ने वाद दिर्धी किम्बहो पेश किया है तथा बेचान शुदा आराजी का श्रीमान न्यायालय मे वाद लाने से वादीगण स्टोप्ड है तथा वाद खारिज होने योग्य है

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के वाद खारिज करने की कृपा करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC व आदेश 7 नियम 11 C.P.C की नकल वादी अधिवक्ता को तकसीम की गई। वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC व आदेश 7 नियम 11 C.P.C पेश किया जवाब मे कथन किया

यह कि प्रार्थना पत्र की मद न० 1 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता और 5 के पति नरसिंहलाल ने विवादित आराजी का इकरारनामा बेचान दिनांक 5/9/98 निष्पादित नही कराया है और फर्जी इकरारनामा बेचान के आधार पर प्रार्थीगण को वाद सिविल कोर्ट मे वाद डिक्री किया था, उसको जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां द्वारा फर्जी एवं कूटरचित मानकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री डिमांड 22/10/2011 को अपील में निरस्त कर
दिया है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा इस समय
विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन
नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 अस्वीकार है और
कथन है कि वादीगण के पिता ने विवादित आराजी का
कभी भी इकरारनामा बेचान निष्पादन नहीं कराया है।
इसलिये वादीगण/अप्रार्थीगण के रोक होने का प्रश्न ही
पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र मात्र वाद
के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से पेश किया
है। जो खारिज किये जाने काबिल है।

यह कि अन्य वजूहात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC व आदेश 7
नियम 11 CPC पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस
सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने
निवेदन किया कि बारां सिविल कोर्ट में विचाराधीन
है हरिवल्लभ बनाम नरसिंह आदि के नाम से विचाराधीन
है नटीबाई, हंसराज, महावीर, रामप्यारी, ममता
प्रतिवादी हैं, हरिवल्लभ वादी है CJM में डिक्री
हो गया। उसके खिलाफ वादी DJ कोर्ट में गये। वहां
से रिमांड हो गया जो विचाराधीन है। आर्डरशीट
की कॉपी संलग्न है। 14/11/19 पेशी थी। स्पेसेफिक
परफारमेंस का वाद है। जमीन यही है। वादीगण 1/2
हि० बता रहे हैं इसी की कार्यवाही कार्यवाही चलने
योग्य नहीं है। क्षेत्राधिकार भी नहीं है। सहखातेदार
का हिस्सा अलग नहीं हो सकता जब तक CJM कोर्ट
का निर्णय नहीं हो जाता, दावा 53 के अलावा

उपखण्ड अधिकारी

183, 188 का भी है। कब्जा हमारा स्वीकार कर
है। दावे की मद नं० 2 मे कब्जा हमारा माना है
कि 5/9/98 के इकरार नामें के आधार पर ही आया
। यदि CJM कोर्ट से डिक्री होगा तो वादी खातेदार
ही नही रहेगें फिर 53 RTA का दावा लाने के अधिकारी
भी नही रहेगा। हरिवल्लभ को पक्षकार ही नही बनाया
है विधि विरूद्ध है।
वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया दावे के पक्षकार और
CJM कोर्ट के प्रकरण के पक्षकार भिन्न भिन्न है।
हरिवल्लभ इस दावे मे पक्षकार नही है। पहले व पार्टी
बनता उसके बाद वह प्रार्थना पत्र ला सकता था। CJM
कोर्ट की डिक्री को D.J. कोर्ट ने फर्जी मानकर रिमाण्ड
किया है। मेरा वाद धारा 53, 183, 188 का है। मै
प्रति० क्र० 1, 2 से कब्जा मांग रहा हूं, CJM कोर्ट
के निर्णय से इस दावे पर कोई प्रभाव नही पडेगा।
मै अभी भी 1/2 का खातेदार हूं। कब्जा की पालना
मे कोई बाधा नही आयेगी। इकरारनामा नरसिंह
ने 1/2 हि० का हरिवल्लभ को करवाया था।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली
मे उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल प्रकरण 15/2007
हरिवल्लभ बनाम नरसिंह आदि CJM बांरा का
गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त
विवेचनानुसार प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 10 CPC व आदेश 7 नियम 11 CPC
स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निम्न [illegible]
क्रियात्मक आदेश
प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

[signature]
अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned by CamScanner

धारा 10 CPC एवं आदेश 7 नियम 11 CPC
स्वीकार किया जाता है वादी का वादपत्र अन्तर्गत
धारा 53, 183, 188 RTA खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 13/1/20 को सरेइजलास
सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.02.07 15:45:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: